टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में 50 % की छूट

राब्यू, जागरण, लखनऊ : नई टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने पर विकासकर्ता को स्टांप शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। टाउनशिप नीति के तहत दी जाने वाली इस छूट को लेकर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह छूट केवल उस भूमि के लिए होगी जो परियोजना का लाइसेंस जारी होने के बाद क्रय की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा लाइसेंस जारी होने से पूर्व

आदेश जारी

खुद से खरीदी गई भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की लिखित पुष्टि के बाद ही विकासकर्ता को इस छूट का लाभ मिलेगा। स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग के तय नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने पर स्टांप शुल्क की वसूली भी की जाएगी।